

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०-1/स्था०-13/2002 (खण्ड-II)

5658 ७ पटना, दिनांक 11/8/26

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन में निहित प्रावधान के अनुसार श्रीमती डा० शैलजा शर्मा, भा०प्र०से०, विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना के स्थान पर श्री अभिषेक पलासिया, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में अंशधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सौरभ राय)

अवर सचिव (प्र०को०),

ज्ञापांक:- 1/स्था०-13/2002 (खण्ड-II)

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक:- 1/स्था०-13/2002 (खण्ड-II)

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सीडी के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/-

अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक:- 1/स्था०-13/2002 (खण्ड-II)

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/श्रीमती डा० शैलजा शर्मा, भा०प्र०से०, विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना/श्री अभिषेक पलासिया, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के निदेशक पर्वद के सभी सदस्य/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक:- 1/स्था०-13/2002 (खण्ड-II)

5659 ७ पटना, दिनांक 11/8/26

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्र०को०)